उपायुक्त–सह–जिलादण्डाधिकारी का कार्यालय,गुमला।
(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

e-mail- drdagumla2013@gmail.com

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017 तथा प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची का पत्रांक 1651/स्था0, दिनांक– 07.07.2025 के द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में गुमला जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोटिवार रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या एवं अर्हता निम्वत् हैः–

क0	पद का नाम	कुल रिक्ति	कोटि	कोटिवार रिक्ति	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
01	प्रखण्ड समन्वयक	03	अनुसूचित जनजाति	01	22–45 वर्ष।	18000/–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–आपरेटिव मैंनेजमेंट/सोषल वर्क में स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव।
			अनुसूचित जाति	–			
			पिछडा वर्ग	–			
			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–			
			अनारक्षित	02			
02	लेखापाल –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	05	अनुसूचित जनजाति (बैकलॉग)	03	18–30 वर्ष।	10000/–	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थानों से वाणिज्य(Commerce) विषय में इन्टरमीडिएट उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से Diploma In Computer Application(DCA) के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 06(छः) माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
			अनुसूचित जनजाति (सीधी भर्ती)	01			
			अनुसूचित जाति	–			
			पिछडा वर्ग	–			
			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–			
			अनारक्षित (सीधी भर्ती)	01			

- **उम्र की गणना दिनांक–01.08.2025 के आधार पर की जाएगी।**
- **संविदा आधारित नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण, स्थानीयता, एवं अन्य निदेश लागू होंगें।**
- **नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017 एवं पत्रांक 10–PMAY-G-54/2016/1193 दिनांक 09.03.2017 (English Circular) में वर्णित रीति से की जाएगी।**
- **इच्छुक योग्य अभ्यार्थी Online आवेदन विभागीय पोर्टल <u>https:/applyrdd.jharkhand.gov.in</u> पर दिनांक–17/07/2025 से 31/07/2025 तक आवदेन भर सकेंगें। नियुक्ति के संबंध में**

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017, एवं पत्रांक 10–PMAY-G-54/2016/1193 दिनांक 09.03.2017 एवं आवश्यक दिशा–निर्देश गुमला जिले के अधिकारिक वेबसाईट gumla.nic.in पर देखी जा सकती है।

14.07.25

उपायुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक 562(ii) दिनांक 16.07.2025

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गुमला जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी गुमला को विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता–सह–वेब मैनेजर गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन पत्र को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि :– सरकार के उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त विज्ञापन को http://applyrdd.jharkhand .gov.in पर अपलोड कराया जाय। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाय।

14.07.25

उपायुक्त,
गुमला।

Scanned with OKEN Scanner